

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया म.प्र.

॥ नीलामी विज्ञप्ति ॥

शासकीय अनुपयोगी घोषित वाहन की नीलामी दिनांक 25.11.2023

निविदा क्रमांक 01

नीलाम होने वाले वाहन का नाम	अमानत राशि	अपसेट मूल्य	मॉडल वर्ष	नीलाम करने वाले ऑफिसर्स का पद
महेन्द्रा जायलो मॉडल 2010 क्रमांक एमपी 02 एचसी 0175	10000/-	135000/-	2010	इस न्यायिक जिला स्थापना पर गठित क्रय-विक्रय समिति

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया का शासकीय वाहन क्रमांक एमपी 02 एचसी 0175, महेन्द्र जायलो मॉडल 2010 को नीलामी द्वारा विक्रय किया जाना है, जिसके लिये इच्छुक उम्मीदवार दिनांक 25.11.2023 को जिला एवं सत्र न्यायालय, दतिया परिसर में उपस्थित हों। इस वाहन की न्यूनतम कीमत राशि 135000/- रुपये निर्धारित की है, इससे कम की बोली मान्य नहीं की जावेगी।

वाहन की नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदार को नीलामी के एक दिवस पूर्व अमानत राशि 10000/- रुपये नजार्त अनुभाग, दतिया में जिला नाजिर के पास जमा करना होगी, तभी उन्हें बोली लगाने की अनुमति दी जावेगी। जिला न्यायालय, दतिया प्रांगण में वाहन निरीक्षण कार्यालयीन समय में किया जा सकेगा, जो भी अधिकतम बोली लगायेगा उसे बोली अंतिम होने से 15 दिन के भीतर शेष समस्त राशि जमा करनी होगी अन्यथा जमा अमानत राशि को राजसात कर दिया जावेगा। वाहन नीलाम होने पर जिला न्यायालय, दतिया द्वारा सेल लेटर दिया जायेगा। नीलामकर्ता को नीलामी पश्चात् स्वयं वाहन का पंजीयन एवं बीमा कराना होगा।

-: नीलामी की शर्तें :-

01. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदार को नीलामी के एक दिवस पूर्व नजार्त अनुभाग, दतिया में अमानत राशि 10000/- रुपये जमा करना होगी, तभी उन्हें बोली लगाने की अनुमति दी जावेगी।
02. विज्ञापन में उल्लेखित वाहन का अवलोकन कार्यालयीन समय में किया जाकर संतुष्ट होने के पश्चात् बोली लगाई जावे, अपसेट कीमत (राशि 135000/-) से कम बोली आने पर बोली मान्य नहीं की जावेगी।
03. वाहन जिस स्थिति में है उसी स्थिति में दिया जायेगा।
04. बोली स्वीकार करने या नहीं करने का पूर्ण अधिकार बोली स्वीकृतकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित है। बोली अस्वीकार करने की स्थिति में कोई कारण नहीं बताया जाएगा, निर्णय तक प्रथम एवं द्वितीय बोली की धरोहर राशि रोकी जाएगी।
05. बोली के संबंध में किसी भी बिंदु पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का होगा जो सर्वमान्य होगा।
06. बोली स्वीकृत होने के पश्चात् उक्त संबंध में उठायी गयी किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

07. बोली स्वीकार करने पर बोलीकर्ता को 15 दिवस की अवधि में पूर्ण राशि जमा कर वाहन निर्धारित समयावधि में अपने व्यय पर उठाना आवश्यक है, अन्यथा अमानत राशि राजसात की जावेगी।

08. खरीददार स्वयं अपने व्यय पर वाहन को उठायेगा, इस हेतु कार्यालय द्वारा कोई व्यय वहन नहीं किया जायेगा।

09. वाहन नीलाम होने पर सेल लेटर दिया जावेगा, तत्पश्चात् नीलामकर्ता को स्वयं वाहन का पंजीयन एवं बीमा कराना होगा।

नीलामी स्थान :- जिला न्यायालय, दतिया

दिनांक :- 25.11.2023

समय :- 11:00 बजे से

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया म0प्र0